भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2853

जिसका उत्तर 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

19 आषाढ़, 1941 (शक)

सोशल मीडिया उपभोक्ताओं की निगरानी

2853. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सोशल मीडिया उपभोक्ताओं, जो समुदायों के बीच अफवाह फैलाकर अशांति उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा राज्य:संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : साइबर स्पेस इंटरनेट पर व्यक्तियों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं का एक जटिल वातावरण है। त्वरित संचार और गुमनामी की संभावना के साथ सीमाहीन साइबर स्पेस के साथ गलत सूचना और विद्वेषपूर्ण सूचना सामग्री के परिचालन की संभावना एक वैश्विक मुद्दा है। सरकार अपने नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है जैसा कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है।

सरकार इंटरनेट पर दी जा रही सूचना सामग्री की निगरानी नहीं करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' राज्य के विषय हैं और राज्य अपनी कानून प्रवर्तन मशीनरी के जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने और छानबीन करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। कानून के प्रावधानों के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराधियो के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करती हैं।

सोशल मीडिया साइटें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत माध्यस्थ हैं। (आईटी) अधिनियम में आपत्तिजनक सूचना सामग्री को हटाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 में यह अपेक्षित है कि माध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यथोचित सावधानी बरतेंगे और कंप्यूटर संसाधनों के प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित करने, प्रकाशित, अद्यतन या साझा नहीं करने की सूचना देंगे जो अन्य बातों के साथ साथ किसी भी प्रकार से हानिकारक,उत्पीडक, निंदात्मक,अपमानजनक,अन्य की निजता भंग करने वाला ,द्वेषपूर्ण, नस्लीय या जातिगत रूप से आपत्तिजनक, निराशाजनक या अन्यथा किसी भी रूप में गैर कानूनी है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जब कभी भी किसी न्यायालय के आदेश अथवा उपयुक्त सरकार या इसकी एजेंसी द्वारा किसी नोटिस के माध्यम से संज्ञान में लाए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित किसी गैर कानूनी गतिविधि को हटाएंगे।

(ग) : समुदायों के बीच अशांति पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा गलत सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार को रोकने के संबंध में आने वाली चुनौतियों हेतु सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इंटरनेट, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रयोग करते हुए झूठी खबरें, गलत जानकारी/भ्रामक सूचना के बारे में मीडिया की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है और दिनांक 03.07.2018 को व्हाट्सएप हेतु एक नोटिस जारी किया। अपनी प्रतिक्रिया में व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करतेहुए झूठी खबरों के मुद्दे को हाल करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया है।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भी कई परामर्शी निदेश जारी किए हैं जिनमें दिनांक 9.8.2016 को गौरक्षा के नाम पर अवांछनीय घटनाओं पर परामर्शी निदेश, दिनांक 13.1.2018 का साइबर अपराध रोकथाम और नियंत्रण पर परामर्शी निदेश और दिनांक 4.7.2018 का बच्चों को उठाने/अपहरण करने की अफवाहों से कुछ राज्यों में मोब लिचिंग की घटनाओं पर एक परामर्शी निदेश शामिल हैं।
- एमईआईटीवाई और एमएचए के साथ-साथ पुलिस आपत्तिजनक सूचना सामग्री को हटाने के मुद्दे का प्रभावी समाधान करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), सूचना सुरक्षा शिक्षण और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के जरिए इंटरनेट का प्रयोग करते समय नीतियों का अनुपालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता रहा है और अफ़वाहों/गलत समाचार को साझा न करने की सलाह देता रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट http://www.infosecawareness.in स्थापित की गई है जहां झूठी खबरों पर एक मॉड्यूल प्रदान किया गया है।

*****